

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **KAPASAN (167) S.C.** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri **ARJUN LAL JINGAR**


H. N. 427 SADAR BAZAR RASHMI TEH- RASHMI DIS. CHITTORGARH (RAJ.) PINCODE 312203

sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place **Chittorgarh**

Dated **03 December 2023**




(**ARCHANA BUGALIA**)
Returning Officer
167 Kapasan ASSEMBLY CONSTITUENCY (S.C.)
(S.D.M.) KAPASAN
Sub Divisional Officer & Sub
Divisional Magistrate Kapasan.

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

कपासन (167) अ.जा. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि -

श्री अर्जुन लाल जीनगर

**म.न. 427 सदर बाजार राशमी तहसील राशमी जि. चित्तौड़गढ़
(राज.) पिनकोड 312203**

जो **भारतीय जनता पार्टी** (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान चित्तौड़गढ़

दिनांक 03 दिसम्बर 2023



(अर्चना बूगालिया)

(अर्चना बूगालिया)
रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कपासन (167) (अ.जा.)
कपासन (167) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी, एस.डी.एस. कपासन मजिस्ट्रेट कपासन